

**थाना बिहारीगढ पुलिस द्वारा पशुओ को जहरीला पदार्थ देकर मारने वाले गिरोह के 03 शातिर सदस्य बाद पुलिस मुठभेड़ जहरीला पदार्थ, 01 छोटा हाथी, 01 मोटर साइकिल व अवैध**

**असलहा सहित गिरफ्तार:-**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे धरपकड़ अभियान के अन्तर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी बेहट के कुशल नेतृत्व में दिनांक 24-08-2019 को समय 19:00 बजे थाना बिहारीगढ पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान दामोदराबाद घूम के पास से पशुओ को जहरीला पदार्थ देकर मारने वाले गिरोह के 03 सदस्य 1-अब्दुल रहमान पुत्र बारु निवासी खुजनावर थाना फतेहपुर, सहारनपुर 2-शाहजेब पुत्र खुर्शीद निवासी मौ0 जैन कालोनी खाताखेड़ी थाना मण्डी, सहारनपुर 3-नदीम पुत्र नसीम निवासी खुजनावर थाना फतेहपुर को बाद पुलिस मुठभेड़ 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस, 01 खोखा कारतूस, 02 नाजायज चाकू, 01 रस्सा, 01 छोटा हाथी नं0 एचआर 58 बी-8944, 01 बजाज डिस्कवर मोटर साइकिल नं0 यूपी 11 पी-2867 व 01 प्लास्टिक की पन्नी में अखबार के टुकड़े में लिपटा चने के दानो के साथ मिश्रण के रूप में जहरीला पदार्थ सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 150/19 धारा 307 भादवि, मु0अ0सं0 151/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, मु0अ0सं0 152/19 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट व मु0अ0सं0 153/19 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किये गये हैं।

**गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-**

- 1-अब्दुल रहमान पुत्र बारु निवासी खुजनावर थाना फतेहपुर, सहारनपुर।
- 2-शाहजेब पुत्र खुर्शीद निवासी मौ0 जैन कालोनी खाताखेड़ी थाना मण्डी, सहारनपुर।
- 3-नदीम पुत्र नसीम निवासी खुजनावर थाना फतेहपुर।

**बरामदगी का विवरण:-**

- 1-01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जिन्दा कारतूस, 01 खोखा कारतूस।
- 2-02 नाजायज चाकू, 01 रस्सा।
- 3-01 छोटा हाथी नं0 एचआर 58 बी-8944।
- 4-01 बजाज डिस्कवर मोटर साइकिल नं0 यूपी 11 पी-2867।
- 5-01 प्लास्टिक की पन्नी में अखबार के टुकड़े में लिपटा चने के दानो के साथ मिश्रण के रूप में जहरीला पदार्थ।

**पूछताछ का विवरण:-**

पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम मुर्दा मवेशियों को उठाने का काम करते हैं तथा मुर्दा मवेशियों की खाल बेचकर धन अर्जित करते हैं और गांव में लोगों को अपना मोबाइल नम्बर दे देते हैं। हमने अपने फोन नम्बर गांव के खम्बो व दीवारों पर भी लिख रखे हैं, जब हमारा काम कम चलता है तो हम लोग गांव में जाकर पशुओ के आगे जहरीला पदार्थ डाल देते हैं, जिसे पशु खाकर मर जाते हैं। जहरीले पदार्थ को हम अपने साथ गाड़ी में रखते हैं। हमने गांव गल्लेवाला जो फतेहपुर क्षेत्र में पड़ता है वहां पर एक पशु को जहरीला पदार्थ दिया था, जिसे खाकर वह मर गया था, जिसके सम्बन्ध में थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 286/19 धारा 429 भादवि पंजीकृत है तथा गांव शेरपुर जो बिहारीगढ क्षेत्र में पड़ता है वहां पर भी एक पशु को जहरीला पदार्थ दिया था, जिसे खाकर वह भी मर गया था, जिसके सम्बन्ध में थाना बिहारीगढ पर मु0अ0सं0 149/19 धारा 429 भादवि पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो गांवों में घूम-घूमकर पशुओ के चारे में जहरीला पदार्थ मिलाकर मार देते हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों से विस्तृत पूछताछ जारी है।

**आपराधिक इतिहास:-**

- 1-मु0अ0सं0 06/10 धारा 11 पशु कूरता अधि0 थाना फतेहपुर, सहारनपुर।
- 2-मु0अ0सं0 14/10 धारा 110 द0प्र0सं0 थाना फतेहपुर, सहारनपुर।
- 3-मु0अ0सं0 286/19 धारा 429 भादवि थाना फतेहपुर, सहारनपुर।
- 4-मु0अ0सं0 149/19 धारा 429 भादवि थाना बिहारीगढ, सहारनपुर।
- 5-मु0अ0सं0 150/19 धारा 307 भादवि थाना बिहारीगढ, सहारनपुर।
- 6-मु0अ0सं0 151/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बिहारीगढ, सहारनपुर।
- 7-मु0अ0सं0 152/19 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बिहारीगढ, सहारनपुर।
- 8-मु0अ0सं0 153/19 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बिहारीगढ, सहारनपुर।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-**

- 1-श्री संजीव कुमार थानाध्यक्ष बिहारीगढ, सहारनपुर।
- 2-उ0नि0 श्री पुष्पेन्द्र कुमार थाना बिहारीगढ, सहारनपुर।
- 3-उ0नि0 श्री राहुल कुमार थाना बिहारीगढ, सहारनपुर।
- 4-का0 1510 सुनील कुमार थाना बिहारीगढ, सहारनपुर।
- 5-का0 1389 अमरजीत थाना बिहारीगढ, सहारनपुर।

## प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 25-08-2019

जनपद पुलिस के परिवार परामर्श केन्द्र में अधिकारियों/काउन्सलरो ने 04 पक्षों में कराया

### समझौता:-

आज दिनांक 25-08-2019 को पुलिस लाइन में महिला परामर्श केन्द्र का आयोजन किया गया। परामर्श केन्द्र में विवादित परिवारों की काउंसिलिंग करने के लिये महिला परामर्श केन्द्र से प्रभारी निरीक्षक श्रीमती कल्पना त्यागी, महिला आरक्षी ज्योति, महिला आरक्षी प्रतीक्षा, महिला आरक्षी पूजा व महिला आरक्षी मीनू की उपस्थिति में काउन्सलर श्री वासुदेव शर्मा निर्गोही, श्री कुलभूषण, श्री राजेश जैन, श्रीमती सुरभि सिंह व श्रीमती मीनू शर्मा द्वारा काउंसिलिंग की गई।

परिवार परामर्श केन्द्र में कुल 18 पक्षों को नोटिस देकर काउंसिलिंग के लिये बुलाया गया। जिसमें लड़का व लड़की पक्ष के 09 लोग उपस्थित हुये। जिनकी काउंसिलिंग करने के बाद काउन्सलर द्वारा 04 पक्षों में समझौता कराया गया। जो परिवार काउन्सलर के द्वारा मिलाये गये उनके नाम निम्नवत् है:-

क्र०सं 0	प्रथम पक्ष	द्वितीय पक्ष
1	श्रीमती सैय्यदा पत्नी शमशीर पुत्री नसीर अहमद मौ० पीर वाली गली नं०-12 थाना मण्डी, सहारनपुर।	शमशीर पुत्र अनीश अहमद निवासी मौ० आली की चुंगी गली नं०-1 थाना मण्डी, सहारनपुर।
2	श्रीमती प्रीति पत्नी अंकित कुमार पुत्री विनोद कुमार निवासी गांव जाण्डखेड़ा थाना रामपुर मनिहारन, सहारनपुर।	अंकित कुमार पुत्र विजयपाल निवासी गांव भूरा थाना कैराना, शामली।
3	श्रीमती रुबी पत्नी सुमित पुत्री बिशनलाल निवासी गांव खजूरवाला थाना नागल, सहारनपुर।	सुमित पुत्र दयाल चन्द निवासी गांव खजूरवाला थाना नागल, सहारनपुर।
4	श्रीमती सलमा पत्नी सरफराज पुत्री मो० इमरान निवासी फ़ैसल मस्जिद टाउन खाताखेड़ी थाना मण्डी, सहारनपुर।	सरफराज पुत्र मीरहसन निवासी गांव रसूलपुर थाना कोतवाली देहात, सहारनपुर।



## प्रेस नोट दिनांक 25-08-2019

थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार,  
जिसके कब्जे से एक अदद तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस

### 315 बोर बरामद:-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन मे तथा पुलिस अधीक्षक नगर एव क्षेत्राधिकारी द्वितीय के पर्यवेक्षण मे अपराधियो के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान थाना प्रभारी थाना सदर बाजार के निर्देशन मे थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा चैकिंग/गस्त के दौरान पर दिनांक 24/25/08/2019 की रात को समय 23.35 बजे सैंट मैरी स्कूल के सामने से एक अभियुक्त रोहित चौधरी पुत्र अमरजीत सिंह निवासी शारदा नगर थाना कुतुबशेर, सहारनपुर को एक अदद तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया नाम पता अभियुक्त :-

1. रोहित चौधरी पुत्र अमरजीत सिंह निवासी शारदा नगर थाना कुतुबशेरसहारनपुर ,  
बरामदगी का विवरण –

अभियुक्त के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस बरामद  
गिरफ्तार करने वाले अधिकारी/कर्मगणों के नाम :-

1. उ नि श्री लोकेन्द्र राणा0
2. है राजेन्द्र 95 0का0
3. काविनीत कुमार 685 0

## **प्रेस नोट दिनांक 25-08-2019**

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के आदेशानुसार चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के कुशल निर्देशन मे आज दिनांक 25/08/2019 को समय 01.50 बजे थाना देवबन्द पुलिस द्वारा मौ० कायस्थवाडा से 02 अभियुक्त 1.शहजाद पुत्र सलीम नि० मौ० कायस्थवाडा लाल फर्श थाना देवबन्द, स०पुर 2. मशरूर पुत्र मरगूब नि० मौ० बडजियाउलहक निकट आलीशान मस्जिद थाना देवबन्द, स०पुर को 20 किलोग्राम मीट (कटरे का), एक अदद कुल्हाडी व 01 अदद छुरी सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना देवबन्द पर मु०अ०स० 687/19 धारा 429 भादवि व 3/11 पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत किया गया।

### **गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता:-**

1. शहजाद पुत्र सलीम नि० मौ० कायस्थवाडा लाल फर्श थाना देवबन्द स०पुर।
2. मशरूर पुत्र मरगूब नि० मौ० बडजियाउलहक निकट आलीशान मस्जिद थाना देवबन्द स०पुर।

### **बरामद सम्पत्ति-**

20 किलोग्राम मीट कटरे का व एक अदद कुल्हाडी व एक अदद छुरी।

### **पुलिस टीम:-**

1. प्रभारी निरीक्षक आनन्द देव मिश्र थाना देवबन्द स०पुर।
2. उ०नि० देवेन्द्र सिंह
3. का० 2014 राहुल कुमार कुमार
4. का० 2028 प्रवीण कुमार